# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
# Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प(सा0प्र0) / 1447 / 2020 दिनांक 01 जून, 2020

## कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश संख्या– 292 / सत्तर–2–2020–18(31) / 2018 दिनाक 13 मार्च, 2020 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयो मे स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमो में कार्यरत शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के न्यूनतम वेतन का निर्धारण अनिवार्यत सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये है।

तदक्रम मे उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन मे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयो में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के न्यूनतम वेतन के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति की निम्नांकित संस्तुतियो को कार्यपरिषद द्वारा अपनी बैठक दिनाक 14 मई, 2020 के मद सं0–7 पर अनुमोदित किया जा चुका है। अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयो मे पाठ्यक्रमवार पृथक–पृथक निम्नानुसार न्यूनतम वेतन निर्धारित किये गये है।

| क्र0 | अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम | शिक्षको को देय न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह) | शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को देय न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह) |
|---|---|---|---|
| 1 | बी0ए0 | 15,000 | 7,500 |
| 2 | बी0एस0–सी0(बायोटेक) | 8,957 | 10,000 |
| 3 | बी0काम0 | 17,000 | 8,000 |
| 4 | एम0ए0 | 12,000 | 6,400 |
| 5 | एम0एस–सी0 | 15,750 | 5,000 |
| 6 | एम0काम0 | 11,500 | 5,000 |
| 7 | एम0एस–सी0–एजी0 | 10,000 | 5,000 |

| क्र0 | स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम | शिक्षको को देय न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह) रू0 मे | शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को देय न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह) रू0 मे |
|---|---|---|---|
| 1 | बी0ए0 | 10,400 | 5,400 |
| 2 | बी0एस0–सी0(बायोटेक) | 11,250 | 6,300 |
| 3 | बी0काम0 | 11,900 | 7,800 |
| 4 | बी0एड0 | 15,600 | 6,500 |
| 5 | बी0पी0एड0 | 10,000 | 4,300 |
| 6 | बी0एल0एड0 | 10,900 | 5,800 |
| 7 | एम0ए0 | 10,600 | 5,900 |
| 8 | एम0एस–सी0 | 10,000 | 5,000 |
| 9 | एम0एड0 | 19,100 | 10,400 |
| 10 | एल0एल0बी0 | 16,000 | 7,000 |
| 11 | बी0ए0एम0एस0 | 60,000 | 22,100 |
| 12 | बी0सी0ए0 | 12,000 | 8,000 |
| 13 | बी0एस–सी0–एजी0 | 12,000 | 5,000 |

उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रमवार प्रतिमाह वेतन जो प्रत्येक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियो की विगत तीन वर्षों की औसत संख्या तथा शिक्षण शुल्क की गणना पर आधारित है, प्रत्येक शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी को प्रति माह अनिवार्य रूप से महाविद्यालय द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त सम्बद्ध महाविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि उपरोक्त न्यूनतम भुगतान शिक्षको को देय उपर्युक्त न्यूनतम वेतन के भुगतान तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को निर्धारित वेतन देने के पश्चात शिक्षण शुल्क का 75 प्रतिशत से कम ही वेतन मद मे व्यय हो रहा हो तो, महाविद्यालय के लिये बाध्यकारी होगा कि उपर्युक्त न्यूनतम निर्धारित वेतन



Scanned with CamScanner

को इस प्रकार से बढ़ाते हुए निर्धारित करें कि शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का कम से कम 75 प्रतिशत वेतन मद में व्यय हो।

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों का प्रतिवर्ष आडिट सम्पन्न कराकर आडिट आख्या में इस आशय का विशेष उल्लेख किया जायेगा कि शिक्षण शुल्क की आय का 75 प्रतिशत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जा रहा है। शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में आनलाइन कराया जायेगा।

**शासनादेश 13 मार्च, 2020 द्वारा निर्धारित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्ते निम्नवत होगी–**

1. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो की सेवा सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का अनुपालन अनिवार्य होगा।
2. शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश एवं अन्य अवकाश, सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगें।
3. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक–छात्र अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित रेगुलेटरी संस्था/शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानको के अनुरूप होंगे।
4. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशाप/सेमीनार/कान्फ्रेन्स में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
5. शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तो के साथ अनुबन्ध–पत्र में किया जाय। अनुबन्ध–पत्र की एक प्रति शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा एक–एक प्रति महाविद्यालय एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा करायी जाये।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

**प्रतिलिपि**– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति महोदया
2. प्रबन्धक समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
3. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
4. उप कुलसचिव को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग इन पर अपलोड कराये जाने हेतु

कुलसचिव

Scanned with CamScanner